

सेवा में

श्रीमान शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
प्रशासन गांव के संग अभियान
कैम्प गांव. झाड़का

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

विषय :- आपसी सहमती से रक्तीनामा होने पर प्रभावती झेप
करने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमान जी के न्यायालय में एक वाद
हुकूमसिंह बनाम रतनसिंह धारा 53, 188 श.का. अधि. के तहत
विचारधीन है जिसमें आज प्रशासन गांव के संग अभियान में
हम दोनो भाईको का आपसी समझौते पर समझौता हो गया है।
अतः अब हम हमारे उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
हमारा वाद निस्तारित कर दिया जावे।

आपकी

1. हुकूमसिंह, वादी
2. रतनसिंह, प्रतिवादी

हुकूमसिंह


दिनांक :- 8/12/2021

सावित्री
सरपंच
ग्राम पंचायत झाड़का
पं० 880 कोटकासिम (अलवर)

रतनसिंह

शिविर प्रभारी
गंगाधर
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
<p>10/6/21</p> <p>12/5/21</p>	<p>वदुल म फरीदम अफिका अफिकनलम (कोटका) ने का का अफका मिया हुकावे। फुकावे- फुकावे म दि. 12/5/21 का का मिया</p> <p>वदुलम फरीदम उम/मीयान P.O. सहाय रीगर राज बाव में काल है। आकवा पत्रावली दिनांक 12/5/21 को उनके समक्ष पेश हो।</p>	
<p>8/11/2021</p>	<p>आज यह पत्रावली उशासन गांव के संग अभियान 2021 के मध्य ग्रा.पं. भोडका में पेश हुई। बारीगण/उत्रिवाही संबंध उपस्थित। फसकारान के द्वारा एक शर्चना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम दोनों फसकारान के मध्य आपसी समझौता के द्वारा काय के मध्य में समझौता हो गया है। अतः अब इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हमारा वाद निवारित कर दिया जावे। फसकारान को सुना गया। फसकारान के द्वारा उत्सुत शर्चना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फसकारान अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते इसलिये बारी का वाद विद्रा किया जाता है। पत्रावली के माल सुमार होकर नम्बर से काम हो तथा वाद तबकील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  जज कोटकासिम (दफ्तर) </p>	<p style="text-align: right;">रतन सिंह</p> <p style="text-align: right;">सुभाष</p> <p style="text-align: right;">सहिल</p>